

भारतीय गैर न्यायिक

दस

भारत

TEN
RUPEES

Rs.10



INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

10AA 992425

प्रारूप-26

(नियम 4क देखिए)

16-विकासनगर विधान सभा

निर्वाचन क्षेत्र से

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

SUB TREASURY

उत्तराखण्ड विधान सभा (सदन का नाम) के लिये निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष
अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाला शपथ-पत्र।

मैं कुलदीप पुत्र श्री सन्तराम, आयु 42 वर्ष, जो ग्राम तेलपुर, पो० अम्बाड़ी, तहसील
विकासनगर, जिला देहरादून का निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन में अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से
प्रतिज्ञा करता हूँ शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ :-

1. मैं ऐसे किसी लम्बित सामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी
अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप
विरचित किया गया है/किए गये हैं।

(यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त हैं तो वह निम्नलिखित
जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी) :

- (i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं 197/05, वाद सं 662 वर्ष 2006
मामला- एक राय होकर राष्ट्रीय राजमार्ग 72 पर बैठकर जाम लगाना।
- (ii) पुलिस थाना (थाने) ... सहसपुर ... जिला ... देहरादून ... राज्य ... उत्तराखण्ड

...2...

B. Singh

भारतीय गैर न्यायिक



INDIA NON JUDICIAL

ISSUED FROM
उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

10AA 992426

-2-



- (iii) सम्बन्धित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है ...341 भा0द0स0 एवं 7 किम्नल लॉ एमेन्डमेंट एकट
- (iv) न्यायालय जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई
ए.प्रसी.प्र.01म0 विकासनगर, देहरादून.....
- (v) तारीख (तारीखें) जिमको आरोप विरचित किया गया थाविचाराधीन, आरोप विरचित नहीं.
- (vi) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है...जी नहीं
2. मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास से दंडादिष्ट नहीं किया गया है।

(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा)

- (I) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं लागू नहीं
- (II) न्यायालय जिसने दण्डित किया है लागू नहीं
- (III) पुलिस थाना (थाने)लागू नहीं जिला (जिले) ..लागू नहीं..... राज्य ..लागू नहीं
- (IV) सम्बन्धित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया हैलागू नहीं
- (V) तारीख (तारीखें) जिनके दंडादेश सुनाया गया था/सुनाए गये थेलागू नहीं

[Signature]

-3-


(VI) क्या दंडादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है/रोके गये हैं
लागू नहीं



स्थान :- विकासनगर (देहरादून)


तारीख :- 09.01.2012

सत्यापन


अभिसाक्षी के हस्ताक्षर


मैं ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता हूँ कि इस शपथ पत्र की
अन्तर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग
मिथ्या नहीं है और कोई तात्परिक बात छिपायी नहीं गई है।

विकासनगर (देहरादून) स्थान पर आज तारीख 09.01.2012 को सत्यापित किया।


अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

This affidavit is sworn before me by

Shri. Kuldeep Kumar ~~Kumar~~ इस प्रलिपि के वे स्तम्भ जो अभिसाक्षी को लागू नहीं हैं, काट दिया जाये।
who is identified by Shri. Ravinder Chauhan
At Vikasnagar on


4/1/2012
V.K.